Quantity of cement to be exported

112. SHRI CHITTA BASU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to refer to the answer to Unstarred question 3622 given in the Raiya Sabha on the 29th August, 1988 and state:

(a) what is the quantity of cement likely to be exported during the current year;

(b) whether Government would subsidise the export; and

(c) if so, what is the anticipated subsidy amount?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) The Cement Manufacturers' Association have informed that they have drawn up plans for export of 4 million tonnes of cement during 1989-90.

(b) and (c) Cash Compensatory Support (CCS) @10% on export of cement, both grey and white, has been granted by the Government with effect from 1st April, 1989. The quantum of CCS payable would depend on the actual exports.

मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास केन्द्र

113. श्री अजीत जोगी : क्या उद्योग मंत्री 27 फरवरी, 1989 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 67 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस योजना के आरम्भ में विकास केन्द्रों पर चयनित स्थानों की संख्या को बाद में घटा कर कम कर दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार के विकास केन्द्रों की स्थापना करते समय मध्य प्रदेश के ऐसे जनजातीय और सर्वाधिक पिछड़े हुए जिलों को कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है; जहां पर अभी तक एक भी उद्योग की स्थापना नहीं की गई है; और

(ग) क्या सरकार ऐसे जिलों में बस्तर, सरगुजा आदि जैसे जिलों में उद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए कोई नई पहल करेगी ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम्) : (क) से (ग) "उद्योग रहित जिलों" के लिए केन्द्रीय मूलभूत सहायता योजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के लिए निम्नलिखित विकास केन्द्र स्वीकृत किए गए थे :

जिला	विकास केन्द्र
भिंड	मालनपुर
मांडला	मेनहेरी
झाबुआ	मेघनगर
धार	पीतमपुर
पन्ना	पुरेना
राजगढ़	पिल्लुखेड़ी

विकास केन्द्रों की नई योजना में मध्य प्रदेश को 5 विकास केन्द्र आवंटित किए गए हैं । राज्य सरकार को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं कि वे नए विकास केन्द्रों का पता लगायें और उन्हें आवंटित किए गए विकास केन्द्रों से दुगने विकास केन्द्रों के लिए अपने प्रस्ताव बेहतर होगा यदि 30 अप्रैल, 1989 तक भेज दें । बस्तर और सरगुजा को पहले से ही केन्द्रीय रूप से पिछड़े जिलों के रूप में माना गया है जो रियायती वित्त, आय कर के लाभ, औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने में सर्वोपरि प्राथमिकता इत्यादि पाने के पात्र हैं ।